कार्यकारी सार

• कर आधार को सुदृढ़ करना निःसन्देह प्रत्यक्ष कर प्रबन्धन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। आयकर विभाग (आईटीडी) कर डाटाबेस को सुदृढ करने के लिए आयकर विभाग में उपलब्ध/निर्धारण के दौरान निर्धारिती द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के अतिरिक्त, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का भी प्रयोग करता है।

• आईटीडी की केन्द्रीय सूचना शाखा (सीआईबी), सूचनाओं का संग्रहण कर आईटीडी सिस्टम में अपलोड करती है तथा निर्धारण अधिकारियों (एओज़) के लिए प्रसारित करती है। महानिदेशक आयकर (सतर्कता एवं आपराधिक जांच) के अधीन समूचे देश में सीआईबी के 17 संगठन हैं। एजेंसियां, आईटीडी की ओर से सूचनाओं को सीआईबी अथवा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के "टिन" (TIN) सहायता केन्द्रों को प्रस्तुत करती है। यह महानिदेशक आयकर (सिस्टमस) द्वारा संचालित आईटीडी सिस्टम सॉफ्टवेयर के सीआईबी मॉडयूल द्वारा संचालित होता है।

• आईटीडी की वार्षिक केन्द्रीय कार्ययोजनाओं में निर्धारिती आधार में प्रतिवर्ष 15 *प्रतिशत* की वृद्धि का लक्ष्य है। उसके प्रति वित्तीय वर्ष 02 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के दस वर्षों के दौरान वार्षिक वृद्धि मात्र 3.1 प्रतिशत (262 लाख से 336 लाख निर्धारिती) थी।

• हमने सूचनाओं के प्रवाह एवं प्रयोग की योजना में अनेकों कमियां पाई। आईटीडी ने सूचनाएं सभी स्रोतों से नहीं मंगवाई (पैराग्राफ 2.11)। कई सूचनाओं में निर्धारितियों के पैन जैसी मूलभूत सूचना नहीं थी जिससे वे बेकार हो गई (पैराग्राफ 2.12 तथा 2.13)। हमने गलत सूचनाओं के संप्रेषण के मामले देखे। आईटीडी ने भेजी गई इन गलत सूचनाओं को निर्धारितियों से डील करने वाले एओज़ को भिजवाने का कोई प्रयास नहीं किया (पैराग्राफ 2.19 तथा बॉक्स 2.1)। आईटीडी एजेंसियों से सूचनाएं मंगाने वाले नोटिसों का अनुपालन नहीं करा रहा था। आईटीडी ने एआईआर की अपर्याप्त फाइलिंग के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की (पैराग्राफ 2.20-2.23 तथा बॉक्स 2.2)। सीआईबी ने आईटीडी सिस्टम पर सूचना अपलोड करने में विलम्ब किया तथा चूकें की (पैराग्राफ 2.32)। उन्होंने आकडों के वर्गीकरण एवम् अनुरक्षण में चूकें की तथा सीआईबी मॉडयूल की पूरी कार्यात्मकताओं का उपयोग नहीं किया (पैराग्राफ 2.37-2.39, 2.47-2.57)।

• हमने पाया कि संवीक्षा के लिए आईटीडी द्वारा चयनित कुल मामलों में से वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10 के दौरान औसतन 7.7 प्रतिशत मामले एआईआर सूचनाओं पर आधारित थे *(पैराग्राफ 3.1 तथा 3.2)*। हमें उच्च मूल्य वाले 285 ऐसे मामले भी मिले जहां एओज़ ने निर्धारणों के दौरान उपलब्ध उपयोगी सूचनाओ का प्रयोग नहीं किया अथवा उन्होंने तथ्यों तथा लेन-देन की शुद्धता की जांच किए बिना ही निर्धारितियों के उत्तर पर भरोसा करते हुए निर्धारण

पूरा कर दिया *(पैराग्राफ 3.3)*। एओज़ उन एआईआर सूचनाओं को भी कर के दायरे में नही लाये जहां निर्धारितियों ने खुद ही राशि प्रस्तुत की थी *(पैराग्राफ 3.5)*।